न्यायालय, भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

एस0 ए0 आर0 वाद सं0 21 / 2017–18

प्रथम पक्ष– मंगल मुण्डा .... अपीलार्थी

71(A) सी0एन0टी0 एक्ट

अनुसूची – 14 फर्म सं0 563

बनाम

द्वितीय पक्ष– अजय कुमार साहु .... उत्तरवादी

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
6/8/21	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी मंगल मुण्डा, पिता – स्व0 हडबड मुण्डा ग्राम+थाना बसिया, जिला –गुमला द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद दायर किया गया है जिसमें अपीलार्थी मौजा तिर्रा के थाना सं0 52 के खाता सं0 59 प्लॉट सं0 143 रकबा 0.86 एकड में से 0. 21 एकड भूमि के खतियानी रैयत है, उक्त भूमि में उत्तरवादी अजय कुमार साहु पिता स्व0 धर्मपाल साहु ग्राम तिर्रा बसिया जिला गुमला के द्वारा उक्त भूमि में निर्मित अस्बेटर के मकान में अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अपीलार्थी के जमीन को खाली छोड़ने के लिए अपीलार्थी विवश होकर एस0 ए0 आर0 आवेदन दाखिल किया गया।	

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
तिर्रा / 52	59	143	0.86 एकड़ में से 0.21 एकड़ भूमि में
			कुल रकबा 0.21 (एक्कीश डिसमील)

अपीलार्थी के आवेदित भूमि के दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी के द्वारा उक्त वादगत भूमि से संबंधित खतियान, लगान रसिद एवं सत्यापित वंशावली की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

उत्तरवादी की ओर :–

उत्तरवादी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए है जिसमें लिखित जवाब दाखिल किया गया है कि विपक्षी के विरूद्ध एस0ए0आर0 का वाद लाया गया हैं न्याय संगत नहीं है तथा वाद खारिज करने योग्य है। विवादित

जमीन मौजा तिर्रा थाना 52 थाना बसिया जिला गुमाल के खाता सं0 59 प्लॉट सं0 143 रकबा 0.86 एकड़ में से 0.21 एकड़ से सबंधित बताया जा रहा है। मौजा तिर्रा का खाता सं0 59 को खतियानी रैयत के वंशज बादल मुण्डा पिता स्व0 सुकरा मुण्डा ग्राम बसिया थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा दिनांक 22/01/2012 को विपक्षी के साथ एकरारनामा बना था।

उपरोक्त विवादित जमीन में आवेदक ने विपक्षी के विरूद्ध में एस0ए0आर. वाद लाया गया है वह गलत है कि विपक्षी आवेदक से खरीद बिकी नहीं किया गया है। विवादित जमीन खाता सं0 59 प्लॉट सं0 143 रकबा 0.86 एकड़ में से 0.21 डी0 भूमि को दिनांक 22/01/2012 को एकरारनामा किया गया जमीन को बादल मुण्डा पिता स्व0 सुकरा मुण्डा को वापसी कर विपक्षी जमीन को छोड़ दिया है। आवेदक विपक्षी के विरूद्ध में एस0ए0आर वाद लाया है बिना आधार का वाद है।

श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त वाद में विपक्षी के विरूद्ध वाद लाया गया वाद को समाप्त करने की कृपा किया जाय। इस महान कार्य हेतु विपक्षी आप का सदा आभारी बना रहेगा।

अंचल अधिकारी, बसिया का जॉच प्रतिवेदनः–

उक्त वाद में भूमि संबंधी जॉच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बसिया से प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा तिर्रा थाना सं0 52 खाता सं0 59/1 रकबा 5.55 एकड़ भूमि पंजी ii में देवनाथ मुण्डा बगै0 पिता खुदी मुण्डा के नाम जमाबंदी कायम है जिसमें उक्त विवादित प्लॉट सं0 143 रकबा 0.86 एकड़ जमीन शामिल है जिसका आवेदक से संबंधित नहीं है। क्योंकि इस खाता से आवेदक मंगल मुण्डा बगै0 के नाम उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद सं0 43 1982–83 द्वारा 4.12 एकड़ जमीन अलग कर पंजी ii में दर्ज है, जिसमें उक्त विवादित प्लॉट सं0 143 रकबा 0.86 एकड़ जमीन के कैफियत कॉलम में बकब्जे एतवा मुण्डा दर्ज है, जिसका आवेदक वंशज नहीं है विपक्षी एंव जमीन मालिक का एकरारनामा संलग्न है।

निष्कर्षः–

अपीलार्थी, उत्तरवादी एवं अंचल कार्यालय, बसिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन दोनो पक्षो के दाखिल जबाब कागजात के आवलोकन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा खाता सं0 59 प्लॉट सं0 143 रकबा 0.86 एकड़ में से 0.21 डी0 भूमि में निर्मित अलवेटर मकान को उक्त खाता के वंशज से एकरारनामा के माध्यम से लिया गया था। जिसे उत्तरवादी के द्वारा मकान को खाली कर छोड़ दिया गया है। अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल एस0 ए0 आर0 वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.09.02 13:17:04 +05:30
Location: 192.168.36.239

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।